आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
23.07.2019	न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया उत्पाद वाद संख्या-320/2018 आदेश राज्य बनाम 1. लाल कुमार, पिता-प्रवीण यादव, सा0-मधुबनी यादव टोला, थाना-के0 हाट मधुबनी, जिला-पूर्णिया। (जप्त Motorcycle No.-BR10K-5029 के मालिक) अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **के0 हाट थाना कांड संख्या-743/2018 दिनांक-30.10.2018** के आलोक में प्रारंभ की गई है। पत्रांक 4488/विधि दिनांक 22.12.18, 49/विधि दि0 03.01.19 एवं ज्ञापांक 971/विधि दि0 16.03.19 के द्वारा पत्राचार किया गया, परन्तु **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** से प्रश्नगत कांड के राजसात का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं हो पाया। इस वाद में विपक्षी वाहन मालिक द्वारा दिनांक 17.12.2018 को दर्ज प्राथमिकी एवं जप्ति सूची के साथ वाहन मुक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आज की सुनवाई में विपक्षी वाहन मालिक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन से किसी प्रकार का शराब जप्त नहीं हुआ है। जप्ति सूची एवं प्राथमिकी का अवलोकन किया जा सकता है। चुकि जप्त वाहन से शराब जप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस अधिनियम के तहत् जप्त वाहन राजसात योग्य नहीं है। तद्नुसार वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय। वाहन मालिक द्वारा समर्पित आवेदन, दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति / जप्ति सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से शराब बरामद नहीं हुआ है, बल्कि वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रश्नगत जप्त वाहन राजसात योग्य नहीं है। तद्नुसार के0 हाट थाना कांड सं0-743/2018 अंतर्गत **जप्त Motorcycle No.-BR10K-5029** को राजसात से मुक्त किया	

जाता है। थानाध्यक्ष, के0 हाट, पूर्णिया विधि सम्मत अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया एवं अधीक्षक, उत्पाद, पूर्णिया को भी भेजें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।